HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 23.05.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 365 of 2022 titled "Arjun Singh & Ors. Versus State of Uttarakhand".

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual and Action Taken Report	1 - 5
2	**Annexure-1**. Inspection report of Joint Committee dated 30.06.2022.	6 - 16

Date: 06.09.2022
Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT
Original Application No. 365 of 2022

In the matter of:

Arjun Singh & Ors. ………….. Applicant

Versus

State of Uttarakhand ……..……… Respondent

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 365 of 2022, Arjun Singh & Ors. Versus State of Uttarakhand, issued following directions on 23.05.2022:

1….xxx……………………………………xxx………………………………..xxx

2. On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action, accordingly, we consider a joint committee of representation of of State PCB, DFO, District agricultural officer and District Magistrate, Dehradun and direct the joint committee to meet within four week and undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

xxx……………………………………….xxx………………………………..xxx

3. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 23.05.2022, the Joint Committee undertaken the inspection of stone crushers on 30.06.2022. Following officials were part of Joint Committee:

i) Dr. Raj Kumar Chaturvedi, Regional Officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun.
ii) Shri Sheeshpal Singh Aswal, Tehsildar, Kalsi Dehradun – Representative of District Magistrate, Dehradun.
iii) Shri S. K. Gautam, Agriculture and Soil Conservation Officer, Chakrata, Kalsi, Distt. Dehradun.
iv) Shri G. S. Dhamanda Forest Rage Officer, River Range, Chakrata Dehradun.
v) Shri S. S. Chauhan, Assistant Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun.
vi) Shri Nag Chand, Renenue Sub-Inspector, Kalsi, Distt. Dehradun

II. FACTUAL REPORT

Stone crusher wise observations of the Joint Committee is as given below:

1. मै0 गम्भीर सिंह स्टोन क्रशर, बोसान, कालसी, देहरादून :

A. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रशर के मानक व निरीक्षण आख्या–

i) स्टोन क्रशर द्वारा परिसर से लगभग 12 से 15 फीट ऊंची विण्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गयी है। एक ओर से नेचुरल वॉल है व साइड से वॉल क्षतिग्रस्त पायी गयी।

ii) स्टोन क्रशर द्वारा धूल के नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinkles स्थापित किये गये हैं।

iii) स्टोन क्रशर द्वारा परिसर में मैटेलिक रोड़ का निर्माण किया गया है। मेन रोड़ धर्मकांटे तक की रोड़ पक्की बनायी गयी है, जो कि धर्मकांटे के आगे क्षतिग्रस्त पायी गयी।

iv) स्टोन क्रशर द्वारा कन्वेयर बैल्ट एवं क्रशिंग बिन्दुओं का पूर्णतयः कवर्ड नहीं किया गया है।

v) स्टोन क्रशर के चारों ओर हरित पट्टिका विकसित नहीं है।

vi) निरीक्षण के समय बरसात के कारण परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण किया गया, जिसकी विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

vii) निरीक्षण के समय, बरसात के कारण परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण पूर्ण नहीं हो पाया।

B. राजस्व विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार – स्टोन क्रशर के खसरा सं0 171, 176, 178, 181 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा नं0 क्रमशः वन भूमि एवं नदी की सतह से 150 मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है तथा 300 मी0 की दूरी तक कोई धार्मिक स्थल, अस्पताल, आवासीय भवन आदि नहीं है।

C. कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार – संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बोसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट में स्थापित श्री गम्भीर सिंह स्टोन क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान–

1. उक्त स्टोन क्रशर के आसपास कृषि योग्य भूमि नहीं है।
2. क्रशर के एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ आम का बगीचा है, जो कि स्वयं स्टोन क्रशर के मालिक का है और वन क्षेत्र है।
3. उक्त स्टोन क्रशर से कृषि फसल को कोई क्षति/हानि नहीं हो रही है।

D. वन विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार – मै0 गम्भीर स्टोन क्रशर बोसान के चार दीवारी के बाहर विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाये गये हैं।

2. मै0 सूर्या स्टोन क्रशर, बोसान, कालसी, देहरादून :

A. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रशर के मानक एवं निरीक्षण आख्या–

1. स्टोन क्रशर द्वारा परिसर से लगभग 12 से 15 फीट ऊंची विण्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गयी है तथा 12 फीट विण्ड ब्रेकिंग वॉल क्षतिग्रस्त पायी गयी।
2. स्टोन क्रशर द्वारा धूल के नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinkles स्थापित किये गये हैं।
3. स्टोन क्रशर द्वारा परिसर में मैटेलिक रोड़ का निर्माण किया गया है।
4. स्टोन क्रशर द्वारा परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु रोड़ पर टैंकर एवं Water Sprinkles के माध्यम से पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गयी है।
5. स्टोन क्रशर के चारों ओर हरित पट्टिका विकसित है।
6. स्टोन क्रशर द्वारा क्रशिंग बिन्दुओं को टिन शेड से कवर्ड किया गया है, परंतु कन्वेयर कवर नहीं की गयी है।
7. निरीक्षण के समय परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण किया गया, जिसकी विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

8. निरीक्षण के समय, बरसारत के कारण परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया।

B. राजस्व विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– उक्त स्थल यमुना नदी व आरक्षित वन भूमि लगभग 500 मी0 की दूरी पर स्थित है। आवेदिन स्थल के समीप कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च) एवं शैक्षणिक संस्थान, स्कूल अस्पताल, सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं आबादी आदि नहीं है।

C. कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बोसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट में स्थापित श्री सूर्या स्टोन क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान–

1. उक्त स्टोन क्रशर के आसपास कृषि योग्य भूमि नहीं है।
2. क्रशर के एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ आम का बगीचा है, जो कि स्वयं स्टोन क्रशर के मालिक का है और वन क्षेत्र है।
3. उक्त स्टोन क्रशर से कृषि फसल को कोई क्षति/हानि नहीं हो रही है।

D. वन विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– मै0 सूर्या स्टोन क्रशर बोसान के चार दीवारी के बाहर विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाये गये हैं।

3. CONCLUSION AND ACTION TAKEN BY UKPCB:

Based on the observations of the Joint Committee, proceeding for show cause notice along with imposition of environmental compensation is under process for both the stone crushers.

****

ANNEXURE-1

माननीय एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–365/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2022 के कम में बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा–183–569/2022/394 दिनांक 14.06.2022 द्वारा गठित समिति/विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम बोसान, कालसी में संचालित स्टोन केशरों, मै0 श्री गम्भीर सिंह स्टोन केशर व मै0 सूर्या स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति निम्नानुसार रही।

1. श्री शीशपाल सिंह असवाल, तहसीलदार, कालसी, देहरादून।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री एस0एस0 चौहान, सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री एस0के0 गौतम, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता, कालसी, देहरादून।
5. श्री जी0एस0 धमान्दा, वन क्षेत्राधिकारी, रीवर रेंज, चकराता, देहरादून।
6. श्री नाग चन्द, राजस्व उप निरीक्षक, कालसी, देहरादून।
7. श्री स्वराज सिंह चौहान, प्रतिनिधि सूर्या स्टोन केशर, बोसान, देहरादून।

मै0 गम्भीर सिंह स्टोन केशर, बोसान, कालसी, देहरादून–

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत स्टोन केशर के मानक व निरीक्षण दौरान–

1. स्टोन केशर द्वारा परिसर में लगभग 12 से 15 फिट उंची विण्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गई है। एक ओर से नेचुरल वॉल है व एक साइड से वॉल क्षतिग्रस्त पाई गयी।
2. स्टोन केशर द्वारा धूल के नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinklers स्थापित किये गये हैं।
3. स्टोन केशर द्वारा परिसर में मैटेलिक रोड़ का निर्माण किया गया है। मेन रोड़ धर्मकांटे तक की रोड़ पक्की बनायी गयी है जो कि धर्मकांटे के आगे क्षतिग्रस्त पायी गयी।
4. स्टोन केशर द्वारा कनवेयर बेल्ट एवं कसिंग बिन्दुओं का पूर्णतयः रोड़ कवर्ड नहीं किया गया है।
5. स्टोन केशर के चारों ओर हरित पट्टिा पूर्णतः विकसित नही है।
6. निरीक्षण के समय परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण किया गया, जिसकी विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरुप पायी गई है।
7. निरीक्षण के समय, बरसात के कारण परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण पूर्ण नही हो पाया।

राजस्व विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– स्टोन केशर के खसरा संख्या–171, 176, 178, 181 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा नम्बर कमशः वन भूमि एवं नदी की सतह से 150 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा 300 मीटर की दूरी तक कोई धार्मिक स्थल, अस्पताल, आवासीय भवन आदि नहीं है।

कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बोसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट में स्थापित श्री गम्भीर सिंह स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान–

1. उक्त स्टोन केशर के आसपास कृषि योग्य भूमि नहीं है।
2. केशर के एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ आम का बगीचा है, जो कि स्वयं स्टोन केशर के मालिक का है और वन क्षेत्र है।
3. उक्त स्टोन केशर से कृषि फसल को काई क्षति/हानि नहीं हो रही है।

वन विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार– मै0 गम्भीर स्टोन केशर बोसान के चार दीवारी के बाहर विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाये गये हैं।

मै0 सूर्या स्टोन केशर, बोसान, कालसी, देहरादून–

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत स्टोन केशर के मानक व निरीक्षण के दौरान–

1. स्टोन केशर द्वारा परिसर से लगभग 12 से 15 फिट उंची विण्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गई है तथा 12 फीट विंड ब्रेकिंग वॉल क्षतिग्रस्त पायी गयी है।
2. स्टोन केशर द्वारा धूल के नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinklers स्थापित किये गये है
3. स्टोन केशर द्वारा परिसर में मैटेलिक रोड़ का निर्माण किया गया है।

ANNEXURE-I

4. स्टोन केशर के द्वारा परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु रोड़ पर टैंकर एवं Water Sprinkler के माध्यम से पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है।
5. स्टोन केशर के चारों ओर हरित पट्टिका विकसित है।
6. स्टोन केशर द्वारा क्रशिंग बिन्दुओं को टिन शेड से कवर्ड किया गया है परंतु कन्वेयर कवर नही की गयी है।
7. निरीक्षण के समय परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण किया गया, जिसकी विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरुप पायी गई है।
8. निरीक्षण के समय बरसात के कारण परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण पूर्ण नही हो पाया।

<u>राजस्व विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार</u>– उक्त स्थल यमुना नदी व आरक्षित वन भूमि लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित स्थल के समीप कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च) एवं शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक प्रतिष्ठान व आबादी आदि नहीं है।

<u>कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार</u>– संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बोसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट में स्थापित मै0 सूर्या स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान–

1. उक्त स्टोन केशर के आसपास कृषि योग्य भूमि नहीं हैं।
2. केशर के एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ आम का बगीचा है, जो कि स्वयं स्टोन केशर के मालिक का है और वन क्षेत्र है।
3. उक्त स्टोन केशर से कृषि फसल को काई क्षति/हानि नहीं हो रही है।

<u>वन विभाग की निरीक्षण आख्यानुसार</u>– मै0 सूर्या स्टोन केशर बोसान के चार दीवारी के अन्दर यूकेलिपिस्टिक के पेड़ लगाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार वर्णित दोनो स्टोन केशर मै0 गम्भीर सिंह स्टोन केशर, बोसान, कालसी, देहरादून, मै0 सूर्या स्टोन केशर, बोसान, कालसी, देहरादून की स्थलीय निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित है।

(नाग चन्द) राजस्व उप निरीक्षक कालसी, देहरादून	(जी0एस0 धमान्दी) वन क्षेत्राधिकारी रीवर रेंज चकरांता, देहरादून	(श्री एस0एस0 चौहान) सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
(एस0के0 गौतम) कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता, कालसी, देहरादून	(शीशपाल सिंह असवाल) तहसीलदार कालसी देहरादून	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

Gambhir Stone Crusher

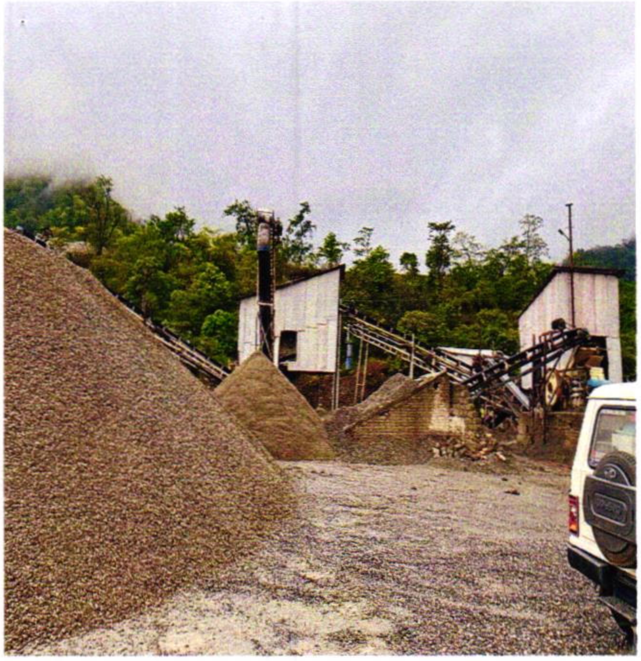

Gambhir Stone Crusher

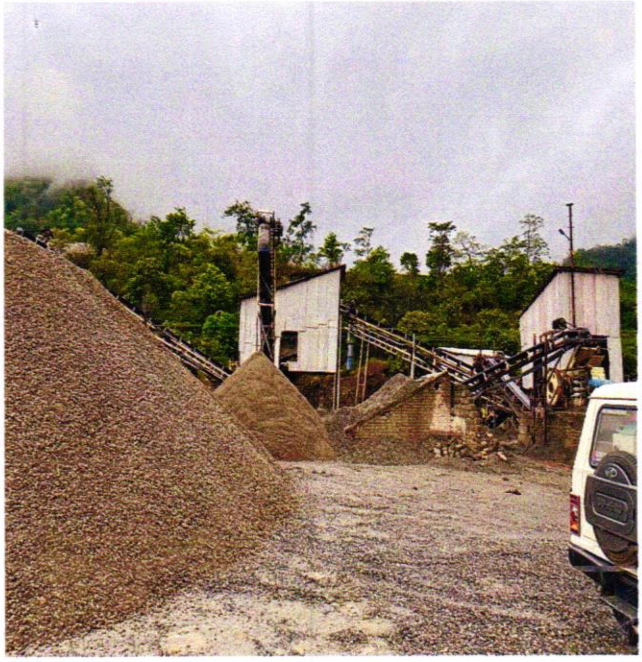

Surya Stone Crusher

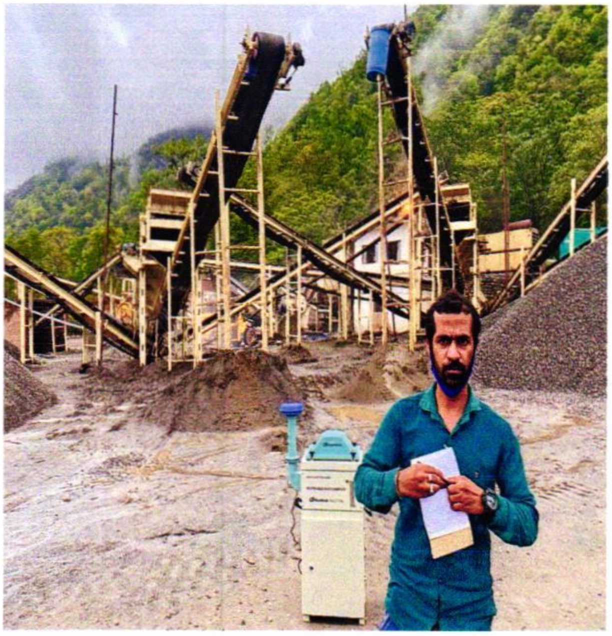

Surya Stone Crusher

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony
Dehradun

NOISE LEVEL MONITORING REPORT

1- Name of Location-: M/s Surya Stone Crusher, Village Bosan Kalsi distt. Dehradun
2-Date of Monitoring-: 30/06/2022
3-Monitored by-: Mr.Dherendra (MA), Mr Nitin Dimri (MA) & Km.Srishti (SA)

Sr.No.	Monitoring Point	Noise Level dB (A) (Day Time)
		Observed Avg. Values of the daytime
1.	Stone crusher when not in operation	58.69
2.	Stone crusher during operation	67.09

Standard

Sr.No.	Category of Area/Zone	Noise Level dB (A)	
		Day Time	Night Time
1.	Industrial	75	65
2.	Commercial	65	55
3.	Residential	55	45
4.	Silence	50	40

Monitoring Asstt. Scientific.Asstt Asstt.Scientific officer Regional officer

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony
Dehradun

NOISE LEVEL MONITORING REPORT

1- Name of Location-: M/s Gambhir Stone Crusher, Village Bosan Kalsi distt. Dehradun
2-Date of Monitoring-: 30/06/2022
3-Monitored by-: Mr.Dherendra (MA), Mr Nitin Dimri (MA) & Km.Srishti (SA)

Sr.No.	Monitoring Point	Noise Level dB (A) (Day Time)
		Observed Avg. Values of the daytime
1.	Stone crusher when not in operation	65.7
2.	Stone crusher during operation	72.4

Standard

Sr.No.	Category of Area/Zone	Noise Level dB (A)	
		Day Time	Night Time
1.	Industrial	75	65
2.	Commercial	65	55
3.	Residential	55	45
4.	Silence	50	40

Monitoring Asstt. | Scientific.Asstt | Asstt.Scientific officer | Regional officer

-बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं० यू० के०पी०सी०बी०/एम० ओ०/मा० -183 -569/2022/3014 दिनांक 14.06.2022 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 365/2022 अर्जुनसिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुपालन में आज दिनांक 30.6.2022 को बोमान स्थित स्टोन क्रेशर मै० सूर्या स्टोन क्रेशर एवं मै० श्री गम्भीर सिंह स्टोन क्रेशर श्री का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय उपस्थित नामित अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही

1: डा० आर० के० चतुर्वेदी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [signature]
2: श्री जी० एस० धमान्दा वनक्षेत्राधिकारी रीवर रेन्ज चकराता वनप्रभाग [signature]
3: श्री ए० के० गौतम कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता कालसी [signature]
4: श्री एस० एन० चौहान सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [signature]
5: श्री नाग चन्द राजस्व उपनिरीक्षक कालसी [signature]
6: श्री शीशपाल सिंह असवाल तहसीलदार कालसी — [signature]
7: श्री स्वराजसिंह चौहान प्रतिनिधि सूर्या स्टोन क्रेशर [signature]

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी,
रीवर रेंज, डाकपत्थर

पत्रांक ऐमो /12 रीवर, दिनांक 02/07/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,
चकराता।

विषय :– माननीय एन0 टी0 जी0 में आयोजित मूल आवेदन संख्या 365/2022 में परित आदेश दिनांक 23.05.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4819/12–1 चकराता, दिनांक 23.05.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि माननीय एन0 जी0 टी0 में आयोजित मूल आवेदन संख्या 365/2022 अर्जुन सिंह एव अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में परित आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुपालन में आज दिनांक 30.06.2022 को बोसान स्थित स्टोन क्रेशर मै0 सुर्या स्टोन क्रेशर एवं मै0 श्री गम्भीर सिंह स्टोन क्रेशर का संयुक्त निरीक्षण डा0 श्री आर0 के0 चतुवेदी क्षेत्रिय अधिकारी प्रदूषण नियत्रण बोर्ड देहरादून, श्री ए0 के0 गौतम कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी चकराता, श्री एस0 एम0 चौहान सहायक वैज्ञानिक प्रशिक्षण बोर्ड देहरादून, श्री नागचन्द राजस्व उपनिरीक्षक कालसी, श्री शिशपाल सिंह असवाल तहसीलदार कालसी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मै0 सुर्या स्टोन क्रेशर बोसान के चार दीवारी के अन्दर यूकेलिपस्टिक पेड़ लगाये गये है एवं मै0 श्री गम्भीर सिंह स्टोन क्रेशर बोसान के चार दीवारी के बहार विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाये गये है।

अतः महोदया की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि, डाकपत्थर

निरीक्षण आख्या

निरीक्षण कर्ता का नाम– अरविन्द कुमार गौतम
निरीक्षण कर्ता का पदनाम– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी।
निरीक्षण स्थल– बौसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट।
निरीक्षण दिनांक– 30.06.2022

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्रांक 730 दिनांक 27.06.2022 को क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड E-115 नेहरू कालोनी, देहरादून के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण हेतु प्रतिभाग करने हेतु कृषि विभाग देहरादून के प्रतिनिधि के रूप मे अधोहस्ताक्षरी का नामित किया गया था। आज दिनाक 30.06.2022 को क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ग्राम बौसान क्षेत्र व्यास नहरी, कालसी गेट के श्री गम्भीर सिंह के स्टोन क्रैशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम मे वन विभाग के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि/तहसीलदार कालसी एव कृषि विभाग की ओर से अधोहस्ताक्षरी स्वंय उपस्थित थे।

उक्त निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. उक्त स्टोन क्रैशर के आस–पास कृषि योग्य भूमि नही है।
2. क्रैशर के एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ आम का बगीचा है जो कि स्वंय स्टोन क्रैशर मालिक का है और सब की तरह वन क्षेत्र है।

अतः उक्त स्टोन क्रैशर से कृषि फसल को कोई क्षति/हानि नही हो रही है।

(अरविन्द कुमार गौतम)
कृषि एव भूमि सरक्षण अधिकारी
चकराता स्थित कालसी।

कार्यालय– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी।

पत्राक– 337/कृ0भू0सं0अ0च0/निरीक्षण आख्या/2022–23/दिनांक 19 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिका
चकराता स्थित कालसी।